राज्य शहरी आजीविका मिशन, (एस०यू०एल०एम०) उ०प्र०
(राज्य नगरीय विकास अभिकरण,– सूडा उ.प्र.)
प्रथम तल,पर्यटन भवन,विपिन खण्ड,गोमती नगर, लखनऊ 226010
दूरभाष एवं फैक्सः 0522–2307798 e-mail:nulmup@gmail.com
website:www.sudaup.org

पत्रांकः– 937 /241/NULM/तीन/2001(SUH)Vol-IV दिनांक 15-12-16

मा0 उच्चतम न्यायालय प्रकरण/अति महत्वपूर्ण

सेवा में,

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष
   जिला नगरीय विकास अभिकरण,
   लखनऊ, कानपुर नगर, गाजियाबाद, आगरा, वाराणसी, बरेली, मुरादाबाद, गोरखपुर, अलीगढ़, झांसी, मेरठ, फिरोजाबाद, इलाहाबाद, मुजफ्फरनगर, मथुरा, मऊ, हापुड़, बुलन्दशहर, फतेहपुर, रायबरेली, उन्नाव, बदायूँ, मैनपुरी, सम्भल, गोण्डा, महोबा, प्रतापगढ़, महाराजगंज, भदोही, चन्दौली, आजमगढ़, कौशाम्बी, बलिया, बिजनौर, गाजीपुर, बांदा, कासगंज, कानपुर देहात, हाथरस, सोनभद्र, फर्रूखाबाद, कन्नौज, एटा, रामपुर, बाराबंकी, गौतमबुद्धनगर, सिद्धार्थनगर, जालौन, अमेठी, श्रावस्ती, अमरोहा, सुलतानपुर, जौनपुर एवं इटावा।
2. सम्बन्धित सिटी प्रोजेक्ट आफिसर/परियोजना निदेशक
   शहर मिशन प्रबंधन इकाई/डूडा
3. नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी
   नगर निगम/नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत,
   लखनऊ, कानपुर नगर, गाजियाबाद, आगरा, वाराणसी, बरेली, मुरादाबाद, गोरखपुर, अलीगढ़, झांसी, मेरठ, फिरोजाबाद, इलाहाबाद, शिकोहाबाद, लोनी, मुगलसराय, चन्दौसी, मुजफ्फरनगर, मथुरा, मऊ, हापुड़, बुलन्दशहर, खुर्जा, फतेहपुर, रायबरेली, उन्नाव, बदायूँ, मैनपुरी, सम्भल, गोण्डा, महोबा, प्रतापगढ़, महाराजगंज, भदोही, चन्दौली, आजमगढ़, कौशाम्बी, बलिया, बिजनौर, गाजीपुर, बांदा, कासगंज, कानपुर देहात, हाथरस, सोनभद्र, फर्रूखाबाद, कन्नौज, एटा, रामपुर, बाराबंकी, गौतमबुद्धनगर, सिद्धार्थनगर, जालौन, अमेठी, श्रावस्ती, अमरोहा, सुलतानपुर, जौनपुर एवं इटावा।

विषय– मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित रिट याचिका (सिविल) संख्या– 55/2003 सम्बद्ध रिट याचिका (सिविल) संख्या–572/2003 ई0आर0 कुमार व अन्य बनाम भारत सरकार व अन्य के सम्बन्ध में।

महोदय,

आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली के पत्र सं0– N-11028/8/2014-USD-FTS 11611 **दिनांक** 08.12.2016 द्वारा अवगत कराया गया है कि रिट याचिका सं0– 55/2003 और 572/2003 ई0आर0 कुमार व अन्य बनाम भारत सरकार एवं अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 11.11.2016में न्यायमूर्ति कैलाश गम्भीर सेवानिवृत्त न्यायाधीश मा0 उच्च न्यायालय दिल्ली की अध्यक्षता में एक समिति जिसमें संयुक्त सचिव, आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय भारत सरकार और मुख्य न्यायाधीश दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा नामित दिल्ली न्यायिक सेवा के एक कार्यरत अथवा सेवानिवृत्तअधिकारी सदस्य होंगे, का गठन करने का निर्देश दिया गया है। समिति राज्य में शहरी बेघरों के लिए उपलब्ध आश्रय गृहों का भौतिक सत्यापन करेगी और सत्यापित करेगी कि क्या आश्रय गृह दीनदयाल अन्त्योदय योजना–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के घटक 'शहरी गरीबों के लिए आश्रय योजना' की गाइडलाइन्स के अनुपालन में है। समिति उनकी धीमी प्रगति के कारणों की जांच भी करेगी।

इस सम्बन्ध में सहायक निबन्धक उच्च न्यायालय नई दिल्ली के अ0शा0 पत्र सं0– 441/2003/एससी/पीआईएल(डब्ल्यू) दिनांक 16.11.2016 के साथ उक्त याचिकाओं में मा0

उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.11.2016 की प्रति सूचना, अनुपालन और आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की गई है।

अतः मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 11.11.2016 की प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुये अनुरोध है कि कृपया उक्त आदेश के सम्बन्ध में अपेक्षित कार्यवाही एवं अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय

संलग्नक– उपरोक्तानुसार।

(शैलेन्द्र कुमार सिंह)
मिशन निदेशक

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, इन्दिरा भवन, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया प्रदेश के नगरीय निकायों द्वारा संचालित समस्त स्थायी और अस्थायी आश्रय गृहों के सम्बन्ध में अपेक्षित संकलित सूचनायें शीघ्रातिशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि स्टेटस रिपोर्ट शासन में उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जा सके।
4. निदेशक, सी0एण्ड डी0एस0, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
5. सम्बन्धित परियोजना अधिकारी/सिटी मिशन मैनेजर, डूडा/सी0एम0एम0यू को तत्काल अनुपालनार्थ।
6. सहायक वेबमास्टर को सूडा की वेबसाइट पर अपलोड हेतु।

(शैलेन्द्र कुमार सिंह)
मिशन निदेशक